तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./9157/2012/जयपुर नीना बनाम कमलकुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री बी.एल. गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर , अधिवक्ता, प्रार्थी

निर्णय **दि. 22–11–12**

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, (तृतीय) जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

निगराधीन आदेश से अतिरिक्त जिला कलक्टर, (तृतीय) जयपुर ने तहसीलदार, चौमू द्वारा रेफरेन्स प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया है।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस निगरानी को विचारार्थ ग्रहण करने एवं स्थगन प्रार्थनापत्र पर सुनी गयी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अतिरिक्त कलक्टर के न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही चल रही है। रेफरेन्स में कलक्टर कोई न्यायिक आदेश पारित नहीं कर सकते, मात्र अपनी अनुशंषा के साथ प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित कर सकते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किये जा सकते। धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रकरण में विशेषकर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./9157/2012/जयपुर नीना बनाम कमलकुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिनियम के तहत स्थगन का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता एवं न्यायालय इस धारा के तहत आदेश पारित नहीं कर सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जो निगराधीन आदेश पारित किया गया है, वह विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 666 एवं आरआरडी 2010 पेज 597 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का अवलम्ब लेते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, अतः निगरानी को विचारार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर ही स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे।

हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार, चौमू द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जो वर्तमान में विचाराधीन है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में निम्नानुसार प्रावधान प्रावधित हैः–

> "82 Power [xxx] to call for records and proceedings and reference to state Government or Board- [xxx] The Settlement Commissioner or the Director of Land Records [or a Collector] may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the regularity of proceedings; and, if he is of opinion that the proceedings taken or

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./9157/2012/जयपुर नीना बनाम कमलकुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement; and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it think fit."

उक्त धारा के अवलोकन, विश्लेषण तथा विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्त के अनुरूप धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रकरण में कलक्टर अथवा अतिरिक्त कलक्टर को राजस्व न्यायालय नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे प्रकरण में वे न्यायिक आदेश पारित नहीं कर सकते एवं मात्र अपनी सिफारिश के साथ प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित कर सकते हैं।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में यह प्रतिपादित किया गया है :–

"Raj. Land Revenue Act, Section 82- Collector does not pass any order under this Section but only expresses his views which amounts only to a recommendation- This Section does not confer any powers of granting stay or taking preventive action- While proceeding under this Section the Collector does not function as a Revenue Court, nor does he discharges any judicial function- As such he cannot issue any injunction."

उक्त सिद्वान्त में यह स्पष्ट माना है कि धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रकरण में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्थगन आदेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./9157/2012/जयपुर नीना बनाम कमलकुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। कलक्टर ऐसे प्रकरण में कोई न्यायिक आदेश पारित नहीं कर सकते एवं मात्र अपनी सिफारिश के साथ प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित कर सकते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगराधीन आदेश पारित कर विधिक एवं क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित की गयी है। अतः निगरानी को विचारार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विचारार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–09–2012 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्ता प्रार्थी को दी जावे। निर्णय की प्रति अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर को नियमानुसार भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल. गुप्ता)
सदस्य